

अंतरिक्ष विभाग
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
सूचना का अधिकार (स्व-प्रकटीकरण)

चैनल के पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में
अपनाई जा रही पद्धति

मोटे तौर पर संगठन में तीन प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं: जैसे तकनीकी, प्रशासनिक तथा वित्तीय।

तकनीकी निर्णय लेने वाली प्रक्रिया:

कार्यक्रमपरक विचारों के आधार पर, सख्त समीक्षा के जरिए तकनीकी निर्णय लिए जाते हैं। तकनीकी निर्णय सामान्य रूप से प्रौद्योगिकी के चयन, डिजाइन इष्टतमीकरण, अंतरिक्षयान तथा प्रमोचक राकेट का संरूपण, घटक का चयन, जाँच सुविधा एवं जाँच पद्धति, प्रणाली/उप प्रणाली विनिर्देशन, अंतरापृष्ठ क्रियाविधि, मिशन पैरामीटर इत्यादि से संबंधित होते हैं। अंतरिक्ष विभाग में किए जाने वाले क्रियाकलाप, व्यापक रूप से परियोजना उन्मुख होते हैं। परियोजना स्तर के निर्णय, तीन (सिद्धांत) आधारभूत क्रियाविधि के जरिए लिए जाते हैं, जैसे- परियोजना कार्यपालक निर्णय, परियोजना प्रबंधन निर्णय तथा परियोजना समीक्षा।

प्रत्येक नियोजित परियोजना के लिए एक परियोजना निदेशक को निर्दिष्ट किया जाता है जो परियोजना का मुख्य कार्यपालक होता है। उप परियोजना निदेशकों की एक टीम जो परियोजना के लिए आवश्यक विभिन्न उप प्रणालियों की सुपुर्दगी के लिए जिम्मेदार हैं, तथा एक परियोजना प्रबंधन कार्यालय उनकी सहायता करते हैं। जब भी आवश्यक हो, परियोजना निदेशक के अनुमोदन से आवश्यक (नियत) समीक्षा तथा परामर्श के बाद, दैनिक आधार पर उप परियोजना निदेशकों द्वारा तकनीकी निर्णय लिए जाते हैं। परियोजना प्रबंधन कार्यालय, आवश्यक आंकड़ा तथा विश्लेषण सहायता से निर्णय लेने की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करता है।

उपग्रह प्रमोचक राकेट तथा अंतरिक्ष उपयोग के क्षेत्र में लिए गए सभी नियोजित परियोजना/योजना, की दो स्तरीय परियोजना प्रबंधन संरचना होती है, जैसे, परियोजना/कार्यक्रम प्रबंधन परिषद (पी.एम.सी.) तथा परियोजना प्रबंधन बोर्ड (पी.एम.बी.) ताकि तकनीकी, प्रबंधकीय, लागत तथा कार्यक्रम पहलुओं को शामिल करते हुए व्यापक रूप से प्रगति की समीक्षा तथा निकटता से मानीटरन किया जा सके। प्रणाली स्तर पर सभी तकनीकी-प्रबंधकीय निर्णय, पी.एम.बी. तथा पी.एम.सी. द्वारा लिये जाते हैं।

परियोजना कालचक्र के विभिन्न स्तर पर, प्रत्येक परियोजना के लिए निर्दिष्ट प्रगति की व्यवस्थित समीक्षा का आयोजन किया जाता है: जैसे प्राथमिक डिजाइन समीक्षा, विस्तृत डिजाइन समीक्षा, क्रांतिक डिजाइन समीक्षा तथा नौभरण (लदान) पूर्व समीक्षा ताकि परियोजना

की तकनीकी प्रगति का मूल्यांकन, अंतरापृष्ठ मामले का समाधान किया जा सके तथा परियोजना के उद्देश्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। समीक्षा बैठकों में भाग लेने हेतु अन्य संस्थाओं/संगठनों से बाह्य विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है। इन सभी समीक्षाओं में, विस्तृत प्रलेखन तथा सुव्यवस्थित मानीटरन एवं कार्रवाई की मर्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई का अनुपालन किया जाता है ताकि परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके। इन समीक्षाओं के दौरान प्रणाली स्तर के निष्पादन पर सभी मुख्य तकनीकी निर्णय तथा मिशन के उद्देश्यों तथा विनिर्देशनों का पालन किया जाता है।

प्रशासनिक निर्णय:

प्रशासनिक निर्णय भर्ती व समीक्षा, कार्मिक सेवाएं, वृत्तिपकर अवसर, मानव संसाधन विकास, अनुशासनिक तथा विधिक मामले, राजभाषा कार्यान्वयन, जन संपर्क, संपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य योजना का प्रबंधन, सुरक्षा संबंधी मामले, वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन समीक्षा, कल्याण, आर.टी.आई. इत्यादि से संबंधित होते हैं। निर्णय लेने की अधिकांश प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर दिया गया है तथा उसे विभिन्न केंद्रों/यूनिटों में अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार लिये जाते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया के भाग के रूप में, विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने के लिए कार्यालय सहायक, अधिकारी तथा कार्यालय/विभागाध्यक्ष जैसी तीन स्तरीय प्रणाली को स्थापित किया गया है ताकि संबंधित तथ्य एवं आंकड़े, नियम के प्रावधान/स्थिति को अंकित करने तथा मामले का व्यवस्थित विश्लेषण किया जा सके। निर्णय से प्रभावित सभी लोगों को अपने दृष्टिकोण को विचारार्थ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से समुचित शिकायत समाधान क्रियाविधि की स्थापना की गई है।

वित्तीय निर्णय:

वित्तीय निर्णय वार्षिक बजट व बजट नियंत्रण, पुनर्विनियोग, भारत सरकार के अनुसार लेखा विधि/पद्धति, परियोजना/योजना के लिए वित्तीय मंजूरी, भंडार एवं उपकरण की खरीद, निर्माण के लिए संविदा, अग्रिम/बड़ा भुगतान, भुगतान की शर्त/तरिका इत्यादि से संबंधित होते हैं।

सभी वित्तीय निर्णय, निर्दिष्ट कार्यपालकों द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत लिए जाते हैं। सभी केंद्रों/यूनिटों में एक निर्दिष्ट आंतरिक वित्तीय सलाहकार होता है तथा केंद्र/यूनिट के सभी वित्तीय निर्णय, आंतरिक वित्तीय सलाहकार के जरिए भेजा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग ने, सभी केंद्रों/यूनिटों द्वारा क्रय संबंधी निर्णय लेने में अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया संबंधी ब्यौरा दर्शाते हुए क्रय मैनुअल तथा भंडार प्रक्रिया को तैयार किया है। विभाग ने पूर्व-लेखा परीक्षा प्रणाली तथा वरिष्ठ स्तरीय संविदा को अंतिम रूप देने वाली समिति/क्रय समिति का गठन किया है ताकि निर्माण संविदा सहित क्रय संविदा में भी विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सके। इसके अलावा, विभाग में विभिन्न केंद्रों/यूनिटों में कार्य करने तथा निर्णय लेने की प्रणाली की व्यवस्थित लेखा-परीक्षा (पश्च-लेखा परीक्षा) करने हेतु एक केंद्रीकृत आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध की स्थापना की है ताकि आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय भी निर्दिष्ट किए जा सकें।

स्रोत: आर.टी.आई. कोष्ठ, अं.वि./इसरो मु.